

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 212] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 11, 1973/भाद्र 20, 1895

No. 212] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 11, 1973/BHADRA 20, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 11th September 1973

SUBJECT.—*Terms and conditions governing the issuance of import licences financed under Internal Development Association Credit No. 402-IN (Industrial Imports).*

No. 151-ITC(PN)/73.—The terms and conditions governing the issuance of import licences financed under the IDA Credit No. 402-IN dated the 25th June, 1973 (Eighth Industrial Imports Project) as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

APPENDIX

Terms and conditions governing the issuance of import licences financed under International Development Association Credit No. 402-IN (Eighth Industrial Imports Project)

- I. The Import licence is issued with an initial validity period of Twelve months.
- II. The goods imported must fall under the approved list of goods as per Annexure I.

III. The goods must be purchased from member countries of the World Bank or Switzerland (a list of member countries is attached at Annexure II) but excluding South Africa and South West Africa. Shipments must be arranged in vessels registered in countries, who are members of World Bank or in Indian Flag Vessels (with ocean freight payable in Rupees in India on India Flag Shipments). It is most essential that the goods must be produced in a member country, and not merely transhipped through a member country.

IV. Ordering:

(a) Firm orders must be placed on the suppliers *within four months from the date of issue of the import licence*. If orders cannot be placed within four months for valid reasons, the licence should be submitted to the licensing authorities during the 5th month giving the reasons for the delay in placing orders and indicating the date by which orders would be placed and extension in the period for ordering is necessary. Such requests will be considered on merits by the C.C.I.&E., in consultation with the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) where necessary.

(b) A statement of orders in the form attached, *vide* Annexure III, should be sent on the first of each month to (1) the Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, No. 10, Parliament Street, New Delhi (Attention Shri T. M. Narasimhan, Senior Accounts Officer) (2) Dy. Economic Adviser, Ministry of Industrial Development (Attn:—Shri N. K. Das) and (3) to the concerned Industrial Adviser, in the Directorate General of Technical Development, New Delhi. Such reports should include particulars of all eligible licences and imports.

IMPORTANT NOTE.—It is necessary that ordering is completed within 4 months or the extended period allowed by the licensing authority in any case. The authorised dealers in foreign exchange will not permit establishment of letters of credits, or remittance for payment to foreign suppliers unless this requirement is complied with.

V. Payment against I/L by remittance through Banks

(1) Payment of the cost of goods acquired should be made, according to procedure described in sub-para (6) below. Contracts concluded with foreign suppliers, should specify the mode of payment and also the documents required *vide* para VI below.

(2) Payment for the cost of goods and services acquired shall be made in the currency of the country from which such goods and services are acquired, that is, in the currency of country of *origin of goods and services*. To cite an example, if the goods are produced or originated in country A but are shipped from a different country B or the supplier is located in country B or another country C, the payment has to be made in the currency of country A and not repeat not that of country B or country C.

(3) Payment of Ocean freight charges on Indian flag vessels shipments should be made in Rupees in India.

(4) Payment of Indian Agent's commission should be made in Indian Rupees to the agents in India. *Such payments, will however form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.*

(5) Expenditure incurred in Indian Currency for goods procured in (including services supplied from) India and also from countries who are not members of World Bank (*Vide* Annexure II) is not reimbursable under the I.D.A. Credit arrangement. Ocean freight charges on vessels belonging to non-member countries of World Bank is also ineligible for financing under IDA Credit arrangement. Hence importers should ensure that shipment is arranged only in vessels belonging to member countries of the World Bank. Foreign exchange dealers should also ensure that payment in foreign exchange is not made towards ocean freight for shipment made in vessels of non-member countries of World Bank.

(6) Detailed procedure for payment.—Payments against the import licence, may be made by the Importers through authorised dealers in foreign exchange in India by remittance in the normal manner. The importers shall indicate in their contracts with suppliers that certain documents required by the I.D.A. have to be submitted by the suppliers to the importers. These documents are described in para (VI) below and in Annexure V and should be sent alongwith a proforma as indicated in Annexure IV. Two sets of documents are required, one for payment

Purposes and the other for purpose of obtaining reimbursement from I.D.A. The authorised dealers in foreign exchange, while opening letter of credit against such import licence would also call for the documents from the supplier. When bills drawn under the letters of credit are paid by the drawee and the amount remitted to the principal suppliers abroad, these documents would be separated and pinned together and forwarded by the dealers in foreign exchange direct to the Ministry of Finance, DEA, Economic Aid Accounts Branch, Jeevan Deep Building, No. 10, Parliament Street, New Delhi. (Attn:—Shri T. M. Narasimhan, Senior Accounts Officer), with the particulars of relative import licence duly noted on each of these documents. In the cases where bills are received by the authorised dealers in foreign exchange on collection basis to cover imports, the proceeds of the bill would not be remitted unless the drawees (importers) furnish to the authorised dealer in foreign exchange these documents for forwarding to the Ministry of Finance. While opening the letters of credits through the Indian Banks, these conditions should be stipulated in the letters of Credits by the Bank.

(7) All payments must be completed within one month after expiry of licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods, except in case of credit facilities, which will be permitted subject to the following conditions:—

- (a) The Credit facility should not extend beyond 90 days from the date of shipments;
- (b) No interest charges are payable by the Importers for the credit extended, directly or indirectly; and
- (c) All payments are completed by the terminal date, specified above.

VI. Documentation

After payments, the importers must arrange to furnish immediately the various prescribed documents (Annexure V in complete shape) to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch, New Delhi to enable them to claim reimbursement from I.D.A. As payments will usually be made through the importer's Bank in India, arrangement should be made by the importers with their Bankers to send the documents direct to the Ministry of Finance *within a week* after each foreign exchange remittance with the proforma, indicated in Annexure IV. This will expedite the utilisation of the IDA Credit by the Government of India. This arrangement will, however, not absolve the importers from the responsibility of submission of proper documents and the importers should obtain confirmation from their bankers that they have submitted the documents to the Ministry of Finance towards foreign exchange remittances made by them and indicate that fact in the monthly report of ordering and payments (*vide* annexure III). The Ministry of Finance will approach the importers for relevant documents if and when necessary.

NOTE.—It should be noted very carefully that the documents for re-imbursements are to be forwarded by the Indian Banks immediately after payments, and under no circumstances, should any delay occur in transmitting these documents. The I.D.A. regulations require that applications for withdrawal should be made promptly. Therefore, I.D.A. can decline re-imbursements if claims for amounts are delayed. Hence it is very essential that the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch, invariably receive the documents within a week after each foreign exchange payment.

VII. Maintenance of Books and Records

The importers shall maintain books and records adequate to identify the goods acquired out of the proceeds of the credit to disclose the use thereof in the project and to record the progress of the project. Such records and books shall be maintained for a period of five years after the date of acquisition of the goods. Importer shall enable the authorised representatives of I.D.A. to inspect the relevant records and documents related to the Project, the goods acquired out of the proceeds of the credit and shall afford all reasonable opportunity and assistance to them for such examination where they propose to carry out such inspections.

VIII. End-use of Goods

All goods imported against the licence will be used exclusively for the purpose of production for the domestic civilian market and for export.

IX. Quarterly Reports on estimated payment:

I.D.A. requires quarterly reports indicating the rate at which withdrawals are expected to be made throughout the disbursement period of the credit. A statement in form in Annexure VI should, therefore, be sent by importers at the end of each quarter i.e. quarter ending September 1973, December 1973, March 1974, June, 1974 and September 1974 by the 10th of the month following the reporting period. In this report all import licences i.e. licences having balances outstanding on 25th June, 1973 and fresh licences issued on or after 25th June 1973 issued under I.D.A. Credit should be included.

X. Notifying suppliers

The importer should apprise the supplier of any special provision in the import licences which affect the suppliers in carrying out the transactions.

XI. Disputes:

It should be understood that Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that any arise between the importers and suppliers.

XII. Future Instructions:

The importers shall promptly comply with any directions, instructions, or orders issued by the Government regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licences and for meeting all obligations under the agreement.

XIII. Breach or Violation:

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports & Exports (Control) Act.

XIV. List of Annexures by Title:

Annexure I.—List of Goods.

Annexure II.—List of World Bank Member countries.

Annexure III.—Monthly report on ordering and payments.

Annexure IV.—Proforma for sending documents.

Annexure V.—Documents required after payment.

Annexure VI.—Quarterly statement of estimated payments.

ANNEXURE I**List of Goods**

Raw and Semi-finished materials, components and spare parts for the manufacture of:

(a) Agricultural

1. Tractors and Power Tillers.
2. Fertilisers.
3. Pesticides.

(b) Electricals

4. Motors, Transformers, Switchgears and Magnetic Steel Stampings.
5. Aluminium Smelting.

(c) Transport

6. Commercial Vehicles.
7. Automotive Ancillaries.

(d) Metal Working

8. Machine Cutting and Small Tools, Abrasive, Ball and Roller Bearings.

(e) Constructions

9. Heavy construction and Earth Moving Equipment including Road Rollers, Engines and components.

10. Spare Parts for heavy construction and Earth Moving equipment for stock and sales.

ANNEXURE II

S. No.	Name of the country	S. No.	Name of the Country
1.	Afghanistan.	60.	Laos.
2.	Algeria.	61.	Lebanon.
3.	Argentina.	62.	Lesotho.
4.	Australia.	63.	Liberia.
5.	Austria.	64.	Libyan Arab Republic.
6.	Belgium.	65.	Luxembourg.
7.	Bolivia.	66.	Malagasy Republic.
8.	Botswana.	67.	Malawi.
9.	Brazil.	68.	Malaysia.
10.	Burma.	69.	Kali.
11.	Burundi.	70.	Mauritania.
12.	Cameroon.	71.	Mauritius.
13.	Canada.	72.	Mexico.
14.	Central African Rep.	73.	Morocco.
15.	Ceylon.	74.	Nepal.
16.	Chad.	75.	Netherlands.
17.	Chile.	76.	New Zealand.
18.	China.	77.	Nicaragua.
19.	Colombia.	78.	Niger.
20.	Congo, People's Rep.	79.	Nigeria.
21.	Costa Rica.	80.	Norway.
22.	Cyprus.	81.	*Oman.
23.	Dahomey.	82.	Pakistan.
24.	Denmark.	83.	Panama.
25.	Dominican Rep.	84.	Paraguay.
26.	Ecuador.	85.	Peru.
27.	Egypt, Arab Rep. of	86.	Philippines.
28.	El Salvador.	87.	*Portugal.
29.	Equatorial Guinea.	88.	Rwanda.
30.	Ethiopia.	89.	South Arabia.
31.	*Fiji.	90.	Senegal.
32.	Finland.	91.	Sierra Leone.
33.	France.	92.	*Singapore.
34.	Gabon.	93.	Somalia.
35.	Gambia, The	94.	South Africa.
36.	Germany.	95.	Spain.
37.	Ghana.	96.	Sudan.
38.	Greece.	97.	Swaziland.
39.	Guatemala.	98.	Sweden.
40.	Guinea.	99.	Syrian Arab Republic.
41.	Guyana.	100.	Tanzania.
42.	Haiti.	101.	Thailand.
43.	Honduras.	102.	Togo.
44.	Iceland.	103.	*Trinidad & Tobago.
45.	India.	104.	Tunisia.
46.	Indonesia.	105.	Turkey.
47.	Iran.	106.	Uganda.
48.	Iraq.	107.	U.K.
49.	Ireland.	108.	U.S.A.
50.	Israel.	109.	Upper Volta.
51.	Italy.	110.	*Uruguay.
52.	Ivory Coast.	111.	*Venezuela.
53.	*Jamaica.	112.	Vietnam.
54.	Japan.	113.	Yemen Arab Rep.
55.	Jordan.	114.	Yemen, People's Dem. Rep. of.
56.	Kenya.	115.	Yugoslavia.
57.	Khmer Republic.	116.	Zaire.
58.	Korea.	117.	Zambia.
59.	Kuwait.		

*Not members of the I.D.A.

ANNEXURE III

Proforma Report—One for each import licence under I.D.A. Credit

Report as on 1st of each month

1. Import licence No., date and value—
2. Ordering Position:—
 - (a) Total value of orders placed so far (in Rs.).
 - (b) Balance value of orders yet to be placed (in Rs.).
 - (c) Phasing of balance orders:—Indicate when these would be completed and confirm that these would be completed within four months from the date of Import licence.
3. Payment positions:—
 - (a) Total value of payments made so far:

	Amount	
(i) Payments made prior to 25.6.1973.	Foreign	in Rs.
	Currency	
(ii) Payments made on or after 25.6.73		
25.6.73 to 31.7.1973		
August 1973		
September 1973		
October 1973		
November, 1973 etc.		
 - (b) Balance value of payments yet to be made (in Rs.).
 - (c) Phasing of balance payments:—
 - (i) During August, 1973.
 - (ii) During September, 1973.
 - (iii) During October, 1973.
 - (iv) During November, 1973.
 - (v) During December, 1973.
 - (vi) During January, 1974 to March 1974.
 - (vii) During April—June, 1974.
 - (viii) During July—September, 1974.

(Please confirm after checking with Bank that documents therefore have been submitted to this Deptt. by then in all cases).

(Please confirm that payments will be completed by 31.10.1974).

4. Remarks, if any, particularly regarding any special difficulty experienced in complete utilisation of licence i.e. payments by 31.10.1974.

Sd/Authorised Representative
on behalf of importer.

ANNEXURE IV

[Referred to in Para V, F (6) and (VD)]

Proforma For Sending Document Under the I.D.A. Credit Eighth Industrial Imports Project

S. No.	Applicable category of goods.	Import licence No. and date	Date of foreign exchange remittance by the Bank.	Currency in which payment is made and the amount in foreign currency.
1	2	3	4	5

ANNEXURE V

(Referred to in Para V and VI)

Documents required in connection with each application for reimbursement, under I.D.A. Credit.

(a) Supplier's invoice, describing the goods or services (original or legible copy).

(b) Evidence of payment, in the form of—

- (1) Receipted invoice or formal receipt of the foreign supplier, or
- (2) Cancelled bank cheque or draft or photostatic copy thereof; or
- (3) Commercial Bank's report of Payment IDA form 1-1 (copy attached) may be used when payment has been made under a commercial letter of credit; or
- (4) Other evidence satisfactory to the I.D.A.

(c) Evidence of shipment, in the form of:

- (1) A copy of ocean or airway bill of lading (this need not be a signed copy) or
- (2) A statement of the supplier or forwarded that the goods have been shipped. This statement should include the approximate date of shipment, the method of transportation (i.e. air, rail or sea) and the destination of the ship/aircraft, the name and flag of the vessel or aircraft (if known) and amount of ocean/air freight should be given.

NOTE 1.—If shipment has not been made at the time of the application is submitted or if the application relates to a down or progress payment on contract, evidence of shipment should be furnished to the IDA as soon as possible after shipment. This evidence of shipment should be accompanied by a copy of the suppliers' final invoice in cases where the application relates to a down or progress payment.

NOTE 2.—When commercial letters of credit are used no evidence of shipment is required if the Bank's report of payment indicates that documents evidencing shipment were produced to the commercial bank at the time payment was made; otherwise evidence of shipment as described in (c)(1) or (2) above would be required.

NOTE 3.—Please note carefully that item (1) to (3) under (b) and (1) to (2) under (C) above are the various alternatives and what is needed is any one of these and not all.

(d) If the withdrawal, is to reimburse the Borrower for a down or progress payment, a copy of the contract or purchase order is required. It is of course only necessary to submit this document once. If payment has been made on a contract on the basis of work performed, in addition to a copy of the contract, the Borrower should furnish an engineer's certificate or progress report showing that the payment was due.

(e) Information regarding applicable category of the list of goods as approved by the I.D.A. vide Annexure I.

NOTE 4.—Requirement at (e) above means that the importer himself or his bank should, while forwarding the documents to the Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs), indicate the applicable category of the approved list of goods under which the import has been made. This list of goods is indicated in Annexure I and the licence itself would indicate the applicable category in each case. If not, the description of the goods imported would enable the item being classified under one of the approved category of goods. In any case, it is for the importer to furnish this information and he or his bank must not require the supplier to indicate such information in his documents to be submitted to the negotiating bank under the Letter of Credit. The importers should therefore, note carefully that no such requirement should be included in their orders or the Letters of Credit.

ANNEXURE V

IDA. FORM-I-I.

Bank's Report of Payment Serial No. _____

(Name of Commercial Bank)

Date of payment: _____

Licence No. _____

TO _____

(Name of the Borrower or Borrower's Representative)

(Address)

We report having paid the sum of _____

to _____ under licence No. _____

(Name of supplier)

established by: _____

(name and address of buyer)

Our payment commission amounts to _____

Payments was effected against delivery of the documents as specified in/and in accordance with the terms and conditions of the letter of Credit mentioned above evidencing shipment of _____

(General description of the merchandise including the)

_____ per S.S. _____ or R.R. _____

(Quantity etc.)

from _____ to _____

(Point of shipment)

Destination)

or storage or manufacture of the goods described at _____

The documents have been disposed of as follows:—

Ocean documents have been forwarded to our above mentioned correspondent Bank

The rail-road bill of lading, warehouse receipt of certificate of manufacture have been _____

(Description made)

(Copy of supplier's invoice is attached.)

Very truly yours,

ANNEXURE VI

(Referred to in Para VI of licensing conditions)

Date _____

International Development Association Quarterly Report of Estimated Payments (Expressed in thousands of U.S. Dollar) at the rate of exchange Dollar 1=Rs. 7.279

S. N.	Category of goods	Import Licence No. & Date	Total Value of I/L	Value of I/L outstanding on 25.6.1973	Currency of Payment	Supplying country
1	2	3	4	5	6	7

CALENDER QUARTERS ENDING

September 1973	December 1973	March 1974	June 1974	September 1974	Beyond 1974	September
8	9	10	11	12	13	

Note:

NOTE 1.—The value of utilisation upto end of the quarter to which the report relates should be actuals and for the balance estimated payments to be furnished.

2. Figures in Column 8 to 13 should indicate only the foreign currency payable to the foreign supplier (excluding agency commission etc. payable in Indian Rupees).

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1973

विषय—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण संख्या : 402-आईएन (औद्योगिक आयात) के अन्तर्गत अर्थयुक्त किए गए आयात लाइसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली शर्तें ।

सं० 151 आई० टी०सी (पी० एन०)/73.—इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण संख्या : 402-आईएन, दिनांक 25 जून, 1973 (आठवीं औद्योगिक आयात परियोजना) के अन्तर्गत अर्थयुक्त किए गए आयात लाइसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली शर्तें व्यापारियों की जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं ।

परिशिष्ट

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण संख्या: 402-आईएन (आठवीं औद्योगिक आयात परियोजना) के अन्तर्गत अर्थयुक्त किए गए आयात लाइसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली शर्तें ।

1. आयात लाइसेंस 12 मास की प्रारम्भिक वैधता अवधि के साथ जारी किया जाता है ।
2. आयात किए गए माल का अनुबन्ध-1 के अनुसार माल की अनुमोदित सूची में शामिल होना जरूरी है ।
3. माल विश्व के सदस्य देशों मे या स्विटजरलैंड (वर्ल्ड बैंक के सदस्य देशों की सूची अनुबन्ध-2 के रूप में संलग्न है) से परन्तु दक्षिण अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका को छोड़कर खरीदा जाना चाहिए । माल लदान की व्यवस्था विश्व बैंक के सदस्य देशों के पंजीकृत जलयानों में या भारतीय ध्वज जलयानों (भारत ध्वज पोतलदानों पर महासागर परिवहन भाड़ा भारत में रुपये में देय के साथ) में होनी चाहिए । माल का एक सदस्य देश के माध्यम से केवल बाह्यनान्तरित करना ही नहीं है, बल्कि उसका सदस्य देश में उत्पादन किया जाना बहुत अनिवार्य है ।

4. **आवश्यक वना**

(क) संभरक को निश्चित आदेश आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों के भीतर अवश्य दे दिए जाने चाहिए। यदि वैध कारणों से चार महीनों के भीतर आदेश नहीं दिए जा सकते तो पांचवें महीने के दौरान आदेश देने में देरी होने के कारणों को बताते हुए और जिस तिथि तक आदेश दिए जाएंगे उसको निर्दिष्ट करते हुए और आदेश देने के लिए अवधि में जितनी वृद्धि आवश्यक हो उसको निर्दिष्ट करते हुए लाइसेंस, लाइसेंसप्राधिकारियों को प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे आवेदनों पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा गुणावगुणा के आधार जहां कहीं आवश्यक होगा, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से परामर्श करके विचार किया जायगा।

(ख) आदेशों का एक विवरण पत्र, संलग्न अनुबन्ध 3 के प्रपत्र में प्रत्येक महीने की पहली तारीख को (1) आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक सहायता लेखाशाखा वित्त मंत्रालय, जीवन बीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली (ध्यान दें—श्री टी० एम० नरसिम्हन, वरिष्ठ लेखा अधिकारी) को (2) उप-आर्थिक सलाहकार, औद्योगिक विकास मंत्रालय (ध्यान दें—श्री एन० के० दास) और (3) तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली में सम्बद्ध औद्योगिक सलाहकार को भेजना चाहिए। ऐसी रिपोर्ट में सब वैध लाइसेंसों और आयातों के ब्यौरे शामिल होने चाहिए।

महत्वपूर्ण टिप्पणी.—यह आवश्यक है कि प्रत्येक मामले में 4 महीनों के भीतर या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर आदेश देने का काम पूर्ण हो जाए। विदेशी मुद्रा विनियम के प्राधिकृत व्यापारी साखपत्र स्थापित करने, या विदेशी संभरकों को भुगतान करने के लिये धन परेषण की अनुमति तब तक नहीं देंगे जब तक इस आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया जाएगा।

5. **बैंकों के माध्यम से धन परेषण द्वारा आयात लाइसेंसों के मद्दे भुगतान :**

- (1) प्राप्त किए गए माल की लागत का भुगतान निम्नलिखित उप-कंडिका (6) में वर्णित क्रियाविधि के अनुसार करना चाहिए। विदेशी संभरकों के साथ निश्चित की गई संविदाओं में भुगतान का तरीका और अपेक्षित दस्तावेज भी विशेष रूप से उल्लिखित होने चाहिए। कृपया नीचे कंडिका 6 देखिए।
- (2) प्राप्त किए गए माल और सेवाओं की लागत के लिये भुगतान जिस देश से माल या सेवाएं प्राप्त की गई है उसकी मुद्रा में अर्थात् माल या सेवाओं के उद्गम देश की मुद्रा में किया जाएगा। उदाहरण के लिये यदि माल (क) देश में उत्पन्न या उद्भूत किया गया है। परन्तु वह एक भिन्न देश (ख) से लाया गया है या संभरक एक भिन्न देश 'ख' में या दूसरे देश 'ग' में स्थिति है तो भुगतान 'ख' या 'ग' देश की मुद्रा में, नहीं बल्कि 'क' देश की मुद्रा में किया जाना है।
- (3) भारतीय ध्वज जलयानों पर लदानों के महासागर परिवहन भाड़े का भुगतान रुपये में भारत में किया जाना चाहिए।
- (4) भारतीय एजेंट के कमीशन का भुगतान एजेंट को भारत में भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस के मुख्य के अंश होंगे और इसीलिये लाइसेंस पर वसूल किए जाएंगे।
- (5) भारत में अधिप्राप्त किए गए माल (भारत से प्राप्त सेवाओं सहित) के लिये भारतीय मुद्रा में किया गया खर्चा और विश्व बैंक के गैर-सदस्य देशों (देखिए अनुबन्ध-2)

से अधिप्राप्त माल के लिये किया गया खर्चा आई० डी० ए० क्रेडिट व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के योग्य नहीं है। विश्व बैंक के गैर-सदस्य देशों से सम्बन्ध रखने वाले जलयानों का महासागर परिवहन भाड़े का खर्चा भी आई० डी० ए० क्रेडिट व्यवस्था के अन्तर्गत अर्थयुक्त करने लिये अपात्र है। इसलिये आयातकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पोतलदान की व्यवस्था केवल विश्व बैंक के सदस्य देशों के जलयानों में की गई है। विदेशी मुद्रा के व्यापारियों को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि महासागर परिवहन भाड़े के लिये विदेशी मुद्रा में किया गया भुगतान विश्व बैंक के गैर-सदस्य देशों के जलयानों में किए गए लदान के लिये नहीं किया गया है।

- (6) भुगतान के लिए विस्तृत क्रियाविधि. —आयातकों द्वारा आयात लाइसेंस के लिये भुगतान भारत में विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से सामान्य तरीके से धन प्रेषण द्वारा किया जा सकता है। संभरकों के साथ की गई अपनी सविदाओं में आयातक यह निर्दिष्ट करेंगे कि आई० डी० ए० द्वारा अपेक्षित कुछ दस्तावेज संभरकों द्वारा आयातकों को प्रस्तुत करने हैं। इन दस्तावेजों का उल्लेख नीचे पैरा (6) में और अनुबन्ध 5 में किया गया है और ये अनुबन्ध 4 में निर्दिष्ट किए गए प्रपत्र के साथ भेजे जाने चाहिए। दस्तावेजों के दो सेट अपेक्षित हैं, एक भुगतान के लिये और दूसरा आई० डी० ए० से धन प्राप्त करने के लिये। विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी ऐसे आयात लाइसेंस के मद्दे साखपत्र खोलते समय संभरक से दस्तावेज भी मांगेंगे। यदि साखपत्र के अधीन लिखे गए बिल आदेशिनी द्वारा चुकाए जाते हैं और धनराशि विदेश में मुख्य संभरक को परेषित की जाती है तो ये दस्तावेज अलग कर लिए जाएंगे और पिन लगा कर एक साथ करके और इन के प्रत्येक पृष्ठ पर सम्बन्धित आयात लाइसेंस का ब्यौरा लिखकर विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा वित्त मंत्रालय अर्थकार्य विभाग, आर्थिक सहायता लेखा शाखा, जीवन बीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली (श्री टी० एम० नरसिम्हन, वरिष्ठ लेखा अधिकारी) को अग्रसारित किए जाएंगे। जिन मामलों में विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा आयातों के लिये अर्थ संग्रह के आधार पर बिल प्राप्त किए जाएं उनमें बिल की रकम तब तक नहीं भेजी जाएगी जब तक आदेशिनी (आयातक) विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी को ये दस्तावेज वित्त मंत्रालय को अग्रसारित करने के लिये प्रस्तुत नहीं कर देते। भारतीय बैंकों के माध्यम से साखपत्र खोलते समय ये शर्तें बैंकों द्वारा साखपत्रों में अनुबन्धित करनी चाहिए।

- (7) सभी भुगतान लाइसेंसों की समाप्ति के बाद एक महीने के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। ऋण सुविधाएं जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाएंगी उनको छोड़कर व्यक्तिगत भुगतानों की व्यवस्था माल लदान पर ही होनी चाहिए:—

- (क) ऋण सुविधा की अवधि लदान की तिथि से 90 दिनों से अधिक नहीं बढ़नी चाहिए ;
- (ख) बढ़ाए गए ऋण के लिये आयातकों द्वारा प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्याज प्रभार देय नहीं है ; और
- (ग) सभी भुगतान ऊपर उल्लिखित अंतिम तिथि तक पूर्ण किए गए हों।

6. दस्तावेजीकरण

भुगतानों के बाद, आयातकों को विभिन्न निर्धारित दस्तावेज (पूर्ण रूप में अनुबन्ध-5) वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक महायन्त्रालय, नई दिल्ली को तुरन्त, प्रस्तुत करने की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि वित्त मंत्रालय आई० डी० ए० से धन वापसी का दावा कर सके। जैसा कि भुगतान साधारणतया भारत में आयातक के बैंक के माध्यम से किए जाएंगे इसलिये प्रत्येक विदेशी मुद्रा के परेषण के बाद एक सप्ताह के भीतर अनुबन्ध-4 में निर्दिष्ट किए गए प्रपत्र के साथ दस्तावेज सीधे वित्त मंत्रालय को भेजने के लिये आयातकों को अपने बैंकों के साथ व्यवस्था करनी चाहिए। इससे भारत सरकार द्वारा आई० डी० ए० के उपयोग किए गए ऋण को शीघ्र निबन्धित जा सकेगा। लेकिन, इस व्यवस्था से आयातक उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो जाएंगे और उन्हें अपने बैंकों से इस बात का पुष्टिकरण प्राप्त कर लेना चाहिए कि उन्होंने उनके द्वारा विदेशी मुद्रा के धन परेषणों के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय को दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं और इस तथ्य को आदेश देने की तथा भुगतानों की मासिक रिपोर्ट में निर्दिष्ट करना चाहिए (देखिए अनुबन्ध-3)। यदि किसी समय आवश्यक होगा, तो वित्त मंत्रालय आयातकों से सम्बन्धित दस्तावेजों के लिये सम्पर्क स्थापित करेगा।

टिप्पणी.— यह बहुत ध्यान पूर्वक नोट कर लेना चाहिए कि वनवापसी के लिये दस्तावेज बैंकों द्वारा भुगतान करने तुरन्त बाद अग्रसारित किये जाने हैं और इन दस्तावेजों को संचालित करने में किसी भी स्थिति में देर नहीं होनी चाहिए। आई० डी० ए० के विनियमों के अनुसार यह आवश्यक है कि धन निकासी के लिए तुरन्त आवेदन पत्र दिए जाने चाहिए। इसलिये यदि, धनराशि के लिये दावे करने में यदि देर की जाएगी तो आई० डी० ए० पुनः धन वापसियों को अम्बीकार कर सकती है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक महायन्त्रालय लेखा शाखा प्रत्येक विदेशी मुद्रा भुगतान के बाद एक सप्ताह के भीतर निश्चित रूप से दस्तावेज प्राप्त कर ले।

7. बही-खाता तथा रेकार्ड रखना

आयातक क्रेडिट के आगम में से प्राप्त किये गये माल की पहचान के लिये परियोजना में उसके उपयोग को जाहिर करने के लिये और परियोजना की प्रगति को अंकित करने के लिये पर्याप्त बही-खाता और रेकार्ड रखेंगे। इस प्रकार के रेकार्ड तथा बही-खाते माल के अधिग्रहण की तारीख के बाद पांच वर्षों की अवधि तक रखे जायेंगे। आयातक आई० डी० ए० के प्राधिग्रहण प्रतिनिधियों को सम्बन्धित रेकार्डों, परियोजना से सम्बद्ध प्रलेखों, क्रेडिट के आगम से प्राप्त किये गये माल की जांच करने के लिये समर्थ वनायेंगे तथा जहां वे इस प्रकार की जांच करना चाहें तो इस प्रकार के लिये उन्हें सभी यथोचित सुअवसर तथा सहयोग प्रदान करने की कोशिश करेंगे।

8. माल का अंतिम उपयोग

लाइसेंस के सह आयातित सभी माल का उपयोग पूर्णरूपेण स्वदेशी नागरिक बाजार के लिये तथा निर्यात के लिये उत्पादन के कार्य में किया जाएगा।

9. अनुमानित भुगतान के सम्बन्ध में त्रैमासिक रिपोर्ट

जिस दर पर निकासियां क्रेडिट की समस्त अदायगी अवधि में की जाने की सम्भावना है उस दर का संकेत करते हुये त्रैमासिक रिपोर्ट आई० डी० ए० को देनी जरूरी होती है। इसलिये, अनुबन्ध-6 में दिये गये प्रपत्र में एक विवरण आयातक द्वारा आने वाली रिपोर्ट की अवधि के मास के दस तारीख तक प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के अन्त में अर्थात् सितम्बर, 1973—मार्च, 1974, जून, 1974 तथा सितम्बर, 1974 को अन्त होने वाली त्रैमासिक अवधि में भेजा जाना

चाहिये । इस रिपोर्ट में सभी आयात लाइसेंसों अर्थात् जिन लाइसेंसों का 25 जून, 1973 को संतुलन बाकी रह गया था तथा आई० डी० ए० क्रेडिट के अन्तर्गत 25-6-73 को या उसके बाद जो नये लाइसेंस जारी किये गये उन सभी को शामिल किया जाना चाहिये ।

10. संभरक को अधिसूचित करना

आयातक को चाहिये कि आयात लाइसेंस की किसी विशेष व्यवस्था से संभरक को अवगत कराये जो संभरक को माल को भेजने में प्रभावित करते हैं ।

11. विवाद

यह समझ लिया जाना चाहिये कि आयातकों और संभरकों के बीच यदि किसी प्रकार के विवाद उठ खड़े होते हैं तो भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी ।

12. भविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंसों या इससे सम्बन्धित किसी मामलों के सम्बन्ध में करार के अन्तर्गत सभी दायित्वों से निपटने के लिये सरकार द्वारा यदि कोई निर्देश, अनुदेश या आदेश जारी किये जाते हैं तो आयातकों को इसका अनुपालन तुरन्त करना होगा ।

13. उल्लंघन या अतिक्रमण

उपर्युक्त धाराओं में निर्धारित शर्तों के किसी प्रकार के उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयात तथा निर्यात (निर्यात) अधिनियम के अन्तर्गत उचित कारवाई की जायेगी ।

14. शीर्षक द्वारा अनुबन्धों की सूची

अनुबन्ध 1.—माल की सूची

अनुबन्ध 2.—विश्व बैंक के सदस्य देशों की सूची ।

अनुबन्ध 3.—आदेश देने तथा भुगतान करने से सम्बन्धित मामिक रिपोर्ट ।

अनुबन्ध 4.—प्रलेखों को भेजने के लिये प्रपत्र ।

अनुबन्ध 5.—भुगतान के बाद मांगे जाने वाले प्रलेख ।

अनुबन्ध 6.— अनुमानित भुगतानों का त्रैमासिक विवरण ।

अनुबन्ध 1

माल की सूची

निम्नलिखित के निर्माण के लिये कच्चा, अर्धनिर्मित माल संघटक तथा फालतू पुर्जें :—

(क) कृषी सम्बन्धी

1. ट्रैक्टर तथा पावर टिलर्स
2. उर्वरक
3. कीटनाशक

(ख) विद्युतीय

4. मोटर, ट्रांसफार्मर, स्वीच-गेयर्स तथा मैग्नेटिक स्टील स्टैम्पिंग ।
5. एल्युमिनियम स्मेल्टिंग ।

(ग) परिवहन सम्बन्धी

6. वाणिज्यिक वाहन
7. स्वचालित सहायक पुर्जे ।

(घ) धातु के काम किये हुये

8. मशीन, कटिंग तथा छोटे-छोटे औजार, अपघर्षक, बाल तथा रोलर बेयरिंग्स ।

(ङ) निर्माण सम्बन्धी

9. भारी निर्माण सम्बन्धी तथा मृद्वाही उपस्कर जिनमें रोडरोलर्स, इंजन और संघटक भी शामिल हैं ।
10. भण्डार तथा विक्रय के लिये भारी निर्माण सम्बन्धी तथा मृद्वाही उपस्कर के लिये पुर्जे ।

अनुबन्ध-2

क्रम संख्या	देश का नाम	क्रम संख्या	देश का नाम
1.	अफगानिस्तान	26.	इक्वाडोर
2.	अल्जीरिया	27.	ईजिप्ट, अरब गणराज्य
3.	अर्जन्तीना	28.	एल सल्वाडोर
4.	आस्ट्रेलिया	29.	वियुवतीय गिनी
5.	आस्ट्रिया	30.	इथोपिया
6.	बेल्जियम	31.	*फिजी
7.	बोलिविया	32.	फिन्लैंड
8.	बोत्स्वाना	33.	फ्रान्स
9.	ब्राजील	34.	गेबोन
10.	बर्मा	35.	जाम्बिया, दि
11.	बुरुन्दी	36.	जर्मनी
12.	केमरून	37.	घाना
13.	कनाडा	38.	यूनान
14.	मध्य अफरीकी गणराज्य	39.	ग्वेतमाल
15.	सीलोन	40.	गिनी
16.	चाद	41.	गुयाना
17.	चिली	42.	हैती
18.	चीन	43.	होन्डुरस
19.	कोलम्बिया	44.	आइसलैंड
20.	कांगो जनवादी गणराज्य	45.	भारत
21.	कोस्टारिका	46.	इन्डोनेशिया
22.	साइप्रस	47.	ईरान
23.	दाहोमे	48.	ईराक
24.	डेनमार्क	49.	आयरलैंड
25.	डोमिनिकन गणराज्य	50.	ईजराइल

*अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के सदस्य नहीं हैं ।

क्रम सं० देश का नाम

क्रम सं० देश का नाम

51. इटली	85. पीरू
52. आइवरी कोस्ट	86. फिलीपीन
53. *जमैका	87. *पुर्तगाल
54. जापान	88. रवान्दा
55. जोर्डन	89. दक्षिणी अरब
56. कीनिया	90. सेनेगल
57. कमेर गणराज्य	91. सिंगर लेओन
58. कोरिया	92. *सिंगापुर
59. कुवैत	93. सोमालिया
60. लाओस	94. दक्षिणी अफ्रीका
61. लेबनान	95. स्पेन
62. लेसोथो	96. सूडान
63. लाइबीरिया	97. स्वाजीलैंड
64. लीबिया अरब गणराज्य	98. स्वीडन
65. लक्समबर्ग	99. सीरिया अरब गणराज्य
66. मालागासी गणराज्य	100. तंजानिया
67. मलावी	101. थाइलैंड
68. मलयेशिया	102. टोंगो
69. माली	103. *ट्रिनिडाड और टोबेगो
70. मारिटेनिया	104. ट्यूनिशिया
71. मारिशस	105. तुर्की
72. मैक्सिको	106. उगांडा
73. मोरक्को	107. यू० के०
74. नेपाल	108. संयुक्त राज्य अमेरिका
75. नीदरलैंड्स	109. अफगानिस्तान
76. न्यूजीलैंड	110. *उरुग्वे
77. नियारगुआ	111. *वेनेजुएला
78. निगर	112. वियतनाम
79. नाइजीरिया	113. यमन अरब गणराज्य
80. नाबो	114. यमन, जनवादी और प्रजातंत्र गणराज्य
81. *ओमान	115. युगोस्लाविया
82. पाकिस्तान	116. जयरे
83. पनामा	117. जाम्बिया
84. पाराग्वे	

*अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के सदस्य नहीं हैं।

अनुबन्ध 3

प्रपत्र रिपोर्ट—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संध फ्रेडिट संख्या के अन्तर्गत प्रत्येक आयात लाइसेंस के लिये एक

प्रत्येक माह की पहली तारीख के अनुसार रिपोर्ट

1. आयात लाइसेंस संख्या, दिनांक और मूल्य।
2. आदेश देने की स्थिति
 - (क) अब तक दिये गये आदेशों का कुल मूल्य (रुपये में)
 - (ख) अभी दिये जाने वाले आदेश के शेष मूल्य (रुपये में)
 - (ग) शेष आदेशों की स्थिति—ये कब पूरे होंगे इसका संकेत कीजिये तथा इसकी पुष्टि कीजिये कि ये आयात लाइसेंस की तारीख से चार माह के भीतर पूरे कर लिए जायेंगे।
3. भुगतान की स्थिति
 - (क) अब तक किये गये भुगतान का कुल मूल्य :

(1) 25-6-73 से पहले किये गये भुगतान	धन राशि
	विदेशी मुद्रा रुपये में
 - (2) 25-6-73

25-6-73 से 31-7-73
अगस्त, 1973
सितम्बर, 1973
अक्तूबर, 1973
नवम्बर, 1973 आदि को या
बाद में किये गये भुगतान :

(बैंक से जांच करने के बाद इसकी पुष्टि कर लीजिये कि उनके द्वारा सभी मामलों में इस विभाग को उनके लिए प्रलेख प्रस्तुत कर दिये गये हैं)।
 - (ख) अभी तक किये जाने वाले भुगतान का शेष मूल्य (रुपये में)।
 - (ग) शेष भुगतानों की स्थिति
 - (1) अगस्त, 1973 के दौरान
 - (2) सितम्बर, 1973 „
 - (3) अक्तूबर, 1973 „
 - (4) नवम्बर, 1973 „
 - (5) दिसम्बर, 1973 „
 - (6) जनवरी, 1974 से मार्च, 1974 तक के दौरान

(7) अप्रैल—जून, 1974 के दौरान

(8) जुलाई—नवम्बर, 1974 के दौरान

(इस बात की पुष्टि कर लीजिये कि भुगतान 31-10-1974 तक पूरे कर लिये जायेंगे) ।

4. टिप्पणी, यदि कोई हो, और यह भी विशेषकर लाइसेंस को पूरा उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में अनुभूत विशेष कठिनाई जैसे—31-10-1973 तक किये जाने वाले भुगतानों के सम्बन्ध में ।

हस्ताक्षरित :

आयातक की और स अधिकृत प्रतिनिधि

अनुबन्ध 4

[पारा 5, 5(6) और 6 के लिए उल्लिखित]

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संध के अन्तर्गत भेजे जाने वाले प्रलेखों के लिये प्रपत्र

(आठवीं औद्योगिक आयात-परियोजना)

क्रम संख्या	माल की अनुमेय श्रेणी	आयात लाइसेंस संख्या तथा दिनांक	बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रेषण की तारीख	जिस मुद्रा में भुगतान किया जाता है उसका नाम तथा विदेशी मुद्रा की धनराशि
1	2	3	4	5

अनुबन्ध 5

(पारा 5 और 6 के लिए उल्लिखित)

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संध केडिट के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के सम्बन्ध में अपेक्षित प्रलेख ।

(क) माल या सेवाओं का व्यौरा देते हुए संभरक का बीजक (मुल या मुपाठ्य प्रति)

(ख) निम्नलिखित रूप में भुगतान का साक्ष्य :—

1. प्राप्त किया गया बीजक या विदेशी संभरक की औपचारिक रसीद ; या
2. रद्द किया हुआ बैंक चेक या ड्राफ्ट या उन की फोटोस्टेट प्रति ; या
3. भुगतान आई० डी० ए० प्रपत्र 1.1 (प्रति संलग्न है) की वाणिज्यिक बैंक की रिपोर्ट ; या
4. आई० डी० ए० की सतुष्टि के लिए अन्य साक्ष्य ।

(ग) निम्नलिखित रूप में पीतलदान का साक्ष्य :—

1. समुद्र या वायु लदान पत्र की एक प्रति (यह एक हस्ताक्षरित प्रति नहीं होनी चाहिये)

या

2. संभरक या अग्रसारित करने वाले का एक विवरण-पत्र कि माल का पोतलदान हो चुका है। इस विवरण पत्र में पोतलदान की अनुमानित तिथि, माल भेजने की विधि (जैसे वायु, रेल या समुद्र मार्ग) और जहाजी/वायुयान का नाम तथा पोत का ध्वज या वायुयान (यदि मालूम हो) के व्योरे शामिल होने चाहिए और उस में समुद्री/वायु मार्ग भाड़े की धनराशि दी जानी चाहिए।

नोट.—1 यदि आवेदन-पत्र देते समय पोतलदान नहीं किया गया है या आवेदन-पत्र तत्क्षण या प्रगमन भुगतान से सम्बन्ध रखता है तो पोतलदान के तुरन्त बाद ही आई० डी० ए० को पोतलदान का साक्ष्य भेजा जाना चाहिए। यदि आवेदनपत्र तत्क्षण या प्रगमन भुगतान से सम्बन्ध रखता है तो संभरक के अन्तिम बीजक की एक प्रति पोतलदान के इस साक्ष्य के साथ लगाई जानी चाहिए।

नोट —2 जब वाणिज्यिक साख-पत्रों का उपयोग किया जा रहा हो और यदि बैंक की रिपोर्ट यह संकेत करे कि जब भुगतान किया गया था तब वाणिज्यिक बैंक को पोतलदान को साक्ष्यांकित करने के लिए प्रलेख प्रस्तुत किए गए थे तो पोतलदान के साक्ष्य की जरूरत नहीं है, अन्यथा उपयुक्त (ग) (1) या (2) में यथा वर्णित पोतलदान का साक्ष्य देना आवश्यक होगा।

नोट.—3 कृपया इसे ध्यानपूर्वक नोट कर लें कि उपयुक्त (ख) के अर्न्तगत (1) से (3) तक और (ग) के अर्न्तगत (1) से (2) तक की मर्वे विभिन्न विकल्पों की हैं और जो जरूरत है वह उन में से किसी एक की है न कि सभी की।

(घ) यदि निकासी कर्जदार को चुकाई जाती है तो तत्क्षण या प्रगमन भुगतान के लिए संविदा या क्रय आदेश की एक प्रति की आवश्यकता है। वास्तव में इस प्रलेख को केवल एक बार ही प्रस्तुत करने की जरूरत है। यदि निष्पादित कार्य के आधार पर संविदा के संबंध में भुगतान कर दिया गया है तो संविदा की एक प्रति के अतिरिक्त कर्जदार को चाहिए कि वह एक अभियन्ता का प्रमाण-पत्र या यह प्रदर्शित करते हुए कि भुगतान बाकी था एक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(ङ) आई० डी० ए० द्वारा यथा प्रमाणित माल की सूची की अनुमेय श्रेणी के सम्बन्ध में सूचना अनुबन्ध-1 देखिए।

नोट.—4 उपयुक्त (ङ) की जरूरतों का मतलब है कि आयातक खुद या उस के बैंक को चाहिए कि जब वित्त मन्त्रालय (अर्थ कार्य विभाग) को प्रलेख अग्रसारित कर रहे हों तो माल की उस अनुमोदित सूची की अनुमेय श्रेणी का संकेत करे जिस के अर्न्तगत आयात किया गया है। माल की यह सूची अनुबन्ध-1 में संकेतित है और लाइसेंस प्रत्येक मामले में खुद ही अनुमेय श्रेणी का संकेत करेगा। यदि ऐसा नहीं होता है, तो आयातित माल का व्योरा माल की अनुमेय श्रेणी में से एक के अर्न्तगत मद को संकेतित करने में समर्थ होगा। किसी भी मामले में, यह आयातक का काम है कि वह इस सूचना को भेजे तथा वह या उस के बैंक को संभरक से साख-पत्र के अर्न्तगत सौदा करने वाले बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले उन के प्रलेखों में इस प्रकार की सूचना को संकेतित किए जाने की अपेक्षा नहीं ही करनी चाहिए। इसलिए, आयातकों को यह ध्यान पूर्वक नोट कर लेना चाहिए कि उनके आदेश या साख-पत्र में इस प्रकार की जरूरत को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

अनुबन्ध 5

बैंक की भुगतान रिपोर्ट क्रम संख्या—

(वाणिज्यिक बैंक का नाम)

भुगतान की तारीख—

लाइसेंस संख्या—

सेवा में

(कर्जदार या कर्जदार के प्रतिनिधि का नाम)

(पता)

(क्रेता का नाम और पता)

के द्वारा स्थापित लाइसेंस संख्या :

के अन्तर्गत—को

(संभरक का नाम)

—का भुगतान कर हम सूचित करते हैं।
हमारे भुगतान की कमीशन धनराशि—है।

विशिष्टकृत किए गए अनुसार प्रलेखों के वितरण के मद्दे भुगतान प्रभावित हुआ था और
ऊपर उल्लिखित साख-पत्र की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित का पातेलदान साक्ष्य—

(सौदे का सामान्य व्यौरा जिसमें

से—को—

(पोतेलदान के विचार में

(स्थान)

(मात्रा आदि)

प्रति एस० एस०—

या आर०

आर०—

—या
—पर उल्लिखित माल संवयन या उत्पादन
शामिल है।)

निम्नलिखित के अनुसार प्रलेख निपटाए गए हैं:—

समुद्री मार्ग सम्बन्धी प्रलेख ऊपर उल्लिखित अपने सम्बन्धित बैंक को अग्रसारित किए गए
हैं।

लदान का रेलवे रीड बिल, निर्माण के प्रमाण-पत्र की गोदाम रसीद

—को भेजा गया है।

(दिया गया विवरण)

(संभरक के बीजक की प्रति संलग्न है)

आपका विश्वासी,

अनुबन्ध 6

(लाइसेंस शर्तों के पारा 6 के लिए उल्लिखित)

दिनांक—

विनिमय की दर 1 डालर—7.279 रुपये पर अनुमानित भुगतान (यू० एम० डालर के हजार में व्यक्त) की अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की त्रैमासिक रिपोर्ट

क्रम संख्या	साल की श्रेणी	आयात लाइ-सेंस संख्या और दिनांक	आयात लाइ-सेंस का कुल मूल्य	25-6-73 को बाकी रहने वाला आयात लाइ-सेंस व मूल्य	भुगतान की मुद्रा	संभरण किए जाने वाले देश
1	2	3	4	5	6	7

अन्त होने वाली त्रैमासिक अवधि का पांचाग

सितम्बर	दिसम्बर	मार्च	जून	तिसम्बर	सितम्बर के बाद
1973	1973	1974	1974	1974	1974
8	9	10	11	12	13

नोट 1.—उस त्रैमासिक के अन्त तक उपयोग करने का मूल्य जिससे रिपोर्ट संबन्ध रखती है वे वास्तविक होने चाहिए और शेष अनुमानित भुगतानों को भेजा जाना चाहिए।

2. कालम 8 से 13 के आंकड़ों को विदेशी संभरक (भारतीय रुपये में भुगतान किए जाने योग्य अभिकर्ता कमीशन शामिल नहीं है) को भुगतान किए जाने योग्य केवल विदेशी मुद्रा का ही संकेत करना चाहिए।

SUBJECT.—Issue of licences for raw materials, components and spares to proposed new units in the small scale sector for the period April 1973—March 1974.

No. 152-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the provision made in paragraphs 47 and 49 in Section I of the Import Trade Control Policy (Red Book-Vol. I) for April 1973—March 1974, which the sponsoring authorities can recommend the licences for a half year application made by a "proposed unit" only after it has gone into production.

2. On a review of the position, it has been decided that the second application for raw materials, components and spares made by a "proposed" unit can be considered even though the unit has not gone into production, provided the sponsoring authority has certified that the unit has installed the requisite machinery.

3. The existing provisions made in the aforesaid paragraph in Section I of the Import Trade Control Policy (Red Book-Vol. I) may be deemed to have been amended accordingly.

S. G. BOSE MULLICK,

Chief Controller of Imports and Exports.

नियम.—अप्रैल 1973-मार्च, 1974 की अवधि के लिए तृष् पैमाने क्षेत्र के प्रस्तावित नए एककों को कच्चे माल, संघटकों, एवं फालतू पुर्जों के लिए लाइसेंस जारी करना ।

सं० 152-आई० टी० सी० (पी० एन०)/73.—अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 1) के खंड 1 की कंडिका 47 और 49 में दी गई व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार प्रायोजक प्राधिकारी "प्रस्तावित एकक" द्वारा किए गए दूसरे अर्ध वार्षिक के आवेदन के मद्दे केवल तभी सिफारिश कर सकते हैं जबकि एकक उत्पादन करने में लग गया है ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि "प्रस्तावित एकक" द्वारा कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों के लिए किए गए आवेदन पर विचार एकक के उत्पादन कार्य में नहीं लगने पर भी किया जा सकता है बशर्ते कि प्रायोजक प्राधिकारी संतुष्ट हो गया है कि एकक ने आवश्यक मशीनें लगा रखी हैं ।

3. आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 1) के खंड 1 में उपर्युक्त कंडिका में दी गई व्यवस्थाओं को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए ।

एस० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

